बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक– कृ०विप०नि०(केन्द्रीय योजना)–40/2025– पी०पी०एम०- 232- /कृ0, पटना, दिनांक–30.03.2026

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित।

द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय :– **चतुर्थ कृषि रोड मैप (डी०पी०आर०) अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना "एकीकृत बागवानी विकास मिशन" के तहत समेकित फसलोपरांत प्रबंधन योजना के वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 में कार्यान्वयन हेतु कुल 2488.65 लाख (चौबीस करोड़ अठासी लाख पैंसठ हजार) रूपये मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 में 755.40 लाख (सात करोड़ पचपन लाख चालीस हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

चतुर्थ कृषि रोड मैप (डी०पी०आर०) अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना "एकीकृत बागवानी विकास मिशन" के तहत समेकित फसलोपरांत प्रबंधन योजना के वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 में कार्यान्वयन हेतु कुल 2488.65 लाख (चौबीस करोड़ अठासी लाख पैंसठ हजार) रूपये मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 में 755.40 लाख (सात करोड़ पचपन लाख चालीस हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बागवानी फसलों के उत्पादनोपरांत वैल्यू चेन डेवलपमेंट, मूल्यवर्धन हेतु फसलोत्तर प्रबंधन है।

इससे उद्यानिकी फसलों के फसलोत्तर क्षति में कमी आयेगी, भण्डारण एवं कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध होने से किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा, बाजार में उद्यानिक उत्पादों की उपलब्धता ज्यादा समय तक हो पायेगी तथा ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी एवं कृषि क्षेत्र में रोजगार का सृजन हो सकेगा।

3. इस योजना का कार्यान्वयन संलग्न अनुसूची–1 एवं 2 के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 में किया जायेगा।

4. इस योजना के अंतर्गत समेकित फसलोपरांत प्रबंधन कार्यक्रमों के तहत अनुदानित दर पर फार्म गेट पैक हाउस, कोल्ड रूम स्टेजिंग, कोल्ड स्टोरेज टाईप–1, कोल्ड स्टोरेज टाईप–2, सोलर क्रॉप ड्रायर, रिफर वैन एवं राइपेनिंग चैम्बर की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इस योजना अन्तर्गत घटकवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से संबंधित वर्षवार कार्य योजना अनुसूची–02 के रूप में संलग्न है।

5. इस योजना का घटकवार विवरण निम्नवत् है :–

क. फार्म गेट पैक हाउस– फार्म गेट पैक हाउस की आधारभूत संरचना का निर्माण NCCD के मार्ग दर्शिका के अनुरूप कराया जायेगा। उपरोक्त घटक (54 वर्ग मीटर) का इकाई लागत 25.00 लाख रूपये है, जिसपर MIDH के मार्ग दर्शिका के अनुरूप 50 प्रतिशत अनुदान यथा–12.50 लाख रूपये देय है। अनुदान दो किस्तों में देय होगा। प्रथम किस्त (अनुदान का 50 प्रतिशत) आधारभूत संरचना एवं मशीनो के अधिष्ठापन के बाद तथा दूसरी एवं अंतिम किस्त (अनुदान का 50 प्रतिशत) वाणिज्यिक गतिविधि शुरू करने के पश्चात देय होगा।

ख. कोल्ड रूम स्टेजिंग– उक्त घटक (30 मे0 टन) का इकाई लागत 52.00 लाख रूपये है, जिसपर MIDH के मार्ग दर्शिका के अनुरूप 35 प्रतिशत अनुदान यथा–18.20 लाख रूपये देय है। अनुदान एकमुश्त वाणिज्यिक गतिविधि शुरू करने के पश्चात देय होगा।

ग. कोल्ड स्टोरेज टाईप–1– उक्त घटक (अधिकतम 5000 मे0 टन) का इकाई लागत 9600.00 रूपये प्रति मे0 टन है, जिसपर MIDH के मार्ग दर्शिका के अनुरूप 35 प्रतिशत अनुदान यथा–3360.00 रूपये प्रति मे0 टन देय है। अनुदान दो किस्तों में देय होगा। प्रथम किस्त (अनुदान का 50 प्रतिशत) आधारभूत संरचना एवं मशीनो के अधिष्ठापन के बाद तथा दूसरी एवं अंतिम किस्त (अनुदान का 50 प्रतिशत) वाणिज्यिक गतिविधि शुरू करने के पश्चात देय होगा।

घ. कोल्ड स्टोरेज टाईप–2– उक्त घटक (अधिकतम 5000 मे0 टन) का इकाई लागत 12000.00 रूपये प्रति मे0 टन है जिसपर MIDH के मार्ग दर्शिका के अनुरूप 35 प्रतिशत अनुदान यथा–4200.00 रूपये प्रति मे0 टन देय है। अनुदान दो किस्तों में देय होगा। प्रथम किस्त (अनुदान का 50 प्रतिशत) आधारभूत संरचना एवं मशीनो के अधिष्ठापन के बाद तथा दूसरी एवं अंतिम किस्त (अनुदान का 50 प्रतिशत) वाणिज्यिक गतिविधि शुरू करने के पश्चात देय होगा।

ङ. सोलर क्रॉप ड्रायर – उक्त घटक हर लाभार्थी के लिए अधिकतम 5 यूनिट के लिए 70 किलोग्राम क्षमता वाली यूनिट की कीमत 2.50 लाख रुपये एवं 100 किलोग्राम क्षमता वाली यूनिट की कीमत 3.50 लाख रुपये है, जिसपर MIDH के मार्गदर्शिका के अनुरूप 40 प्रतिशत अनुदान क्रमशः 1.00 लाख रूपये एवं 1.40 लाख रूपये देय है।

च. रिफर वान– उक्त घटक (4–14 मे0 टन) का इकाई लागत 31.00 लाख रूपये है जिसपर MIDH के मार्ग दर्शिका के अनुरूप 35 प्रतिशत अनुदान यथा–10.85 लाख रूपये देय है। अनुदान एकमुश्त वाणिज्यिक गतिविधि शुरू करने के पश्चात देय होगा।

छ. राइपेनिंग चैम्बर–उक्त घटक (न्यूनतम 10 मे0 टन प्रति लाभुक एवं अधिकतम 300 मे0 टन प्रति लाभुक) का इकाई लागत 1.00 लाख रूपये प्रति मे0 टन है जिसपर MIDH के मार्ग दर्शिका के अनुरूप 35 प्रतिशत अनुदान यथा–35000.00 रूपये प्रति मे0 टन देय है। अनुदान दो किस्तों में देय होगा। प्रथम किस्त (अनुदान का 50 प्रतिशत) आधारभूत संरचना एवं मशीनो के अधिष्ठापन के बाद एवं अंतिम किस्त (अनुदान का 50 प्रतिशत) वाणिज्यिक गतिविधि शुरू करने के पश्चात देय होगा।

6. इस योजना का कार्यान्वयन उद्यान निदेशालय स्तर से राज्य के सभी 38 जिलों में कराया जायेगा।

7. योजना के तहत अवयववार ऑनलाईन आवेदन https://horticulture.bihar.gov.in पर प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त आवेदन का SLEC के द्वारा किये गये अनुशंसा पर निदेशक, उद्यान के स्तर से कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

8. SLEC का गठन एकीकृत बागवानी विकास मिशन के मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जायेगा।

9. भारत सरकार के पत्र संख्या–03/03/2025–KY दिनांक–01.01.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु MIDH योजना अंतर्गत कुल 5200.00 लाख रूपये का उद्व्यय संसूचित किया गया है। उक्त उद्व्यय के विरूद्ध State Level Sanctioning Committee (SLSC) से दिनांक 28.04.2025 को स्वीकृत 10833.00 लाख रूपये की वार्षिक कार्य योजना पर भारत सरकार के पत्र संख्या– 03/03/2025–KY दिनांक–04.04.2025 से अनुमोदन प्राप्त है।

10. भारत सरकार के पत्र संख्या–113 (BR 114) दिनांक–19.05.2025 द्वारा MIDH योजना अंतर्गत केन्द्रांश मद में प्रथम किस्त के रूप में कुल 2600.00 लाख रूपये (सामान्य श्रेणी के लिए 2153.06 लाख रूपये, अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए 413.66 लाख रूपये एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए कुल 33.28 लाख रूपये) की राशि विमुक्त की गई है।

11. कृषि रोड मैप में सन्निहित कार्यक्रमों/अवयवों के अनुरूप तथा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय योग्य कार्यों एवं पूर्व की SLSC द्वारा अनुमोदित AAP में पुनर्निर्धारण करते हुए भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2025–26 में एम०आई०डी०एच० अंतर्गत समेकित फसलोपरांत प्रबंधन की कार्य योजना तैयार की गई है जो State Level Sanctioning Committee (SLSC) से दिनांक–26.12.2025 को अनुशंसित है।

12. योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका एवं प्रशासी विभाग द्वारा संसूचित कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में संसूचित बजट उपबंध के अधीन अनुमोदित Cost Norms के अनुरूप किया जायेगा।

13. इस योजना अन्तर्गत समेकित फसलोपरांत प्रबंधन का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा कराया जायेगा। राज्य स्तर पर बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्य कराया जायेगा।

14. प्रावधानित बजट के आलोक में सामान्य वर्ग के लिए 83.903 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए क्रमशः 15.00 प्रतिशत एवं 1.097 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी प्रयास किया जायेगा कि लाभुक में 30 (तीस) प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित हो।

15. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक उद्यान, बिहार होंगे। स्वीकृत राशि को अनुसूची–1 के अनुसार निदेशक उद्यान, बिहार द्वारा SNA-SPARSH के माध्यम से व्यय किया जाएगा।

16. योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथा आवश्यक संशोधन वित्तीय सीमा के अन्दर प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

17. राशि व्यय के पश्चात् उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश निर्गत की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना एवं कृषि विभाग को निदेशक उद्यान, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को योजना के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

18. इस योजना अन्तर्गत कुल 35020 मानव दिवस सृजन की संभावना है।

19. योजना स्वीकृति के उपरांत योजना से संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर निर्गत किया जायेगा।

20. वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.1998 तथा पत्रांक–ब0–15/बी0एस0जी0–57/25/–410 दिनांक–12.06.2025 का अनुपालन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

21. इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री प्राधिकार निदेशक उद्यान, बिहार, पटना होंगे।

22. मुख्य शीर्ष/उप शीर्ष के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रावधानित राशि में से की जायेगी :–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0224–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401001190224, पी०एफ०एम०एस० कोड –4138, विषय शीर्ष 0224–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	7075.52000	633.8033
मुख्यशीर्ष "2401 फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01 उपशीर्ष 0235– राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401007890235, पी०एफ०एम०एस० कोड–4138, विषय शीर्ष 0235–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	1470.72000	113.3100
मुख्यशीर्ष "2401 फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01 उपशीर्ष 0257– राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401007890257, पी०एफ०एम०एस० कोड–4138, विषय शीर्ष 0257–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	107.59000	8.2867
योग	**8653.83000**	**755.40000**
प्रथम अनुपूरक से पूर्व राज्यांश मद से स्वीकृत की गई राशि	**13.170**	-
सकल योग	**8667.00**	**755.40000**

नोटः–बजट शीर्ष अंतर्गत सामान्य कोटि में प्रस्तावित राशि, उपलब्ध अवशेष राशि से अधिक है। तत्काल उपलब्ध राशि की निकासी की जा सकेगी। शेष राशि की निकासी आंतरिक सामंजन/तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्ति के पश्चात किया जा सकेगा।

23. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 एवं पत्रांक 201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा दिनांक–09.02.2026 को आयोजित बैठक में प्राप्त है एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या– कृ०विप०नि०(केन्द्रीय योजना)–40/2025 के पृष्ठ संख्या–107/टि० पर दिनांक–20.02.2026 एवं माननीय मंत्री, वित्त विभाग का अनुमोदन पृष्ठ संख्या–120/टि० पर दिनांक–25.03.2026 को प्राप्त है।

24. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

25. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–कृ०विप०नि०(केन्द्रीय योजना)–40/2025 के पृष्ठ संख्या–106/टि० पर दिनांक–18.02.2026 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–95 दिनांक–17.02.2026 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक कृ०विप०नि०(केन्द्रीय योजना) 40/2025–पी०पी०एम०- 232-/कृ0, पटना, दिनांक– 30.03.2026

प्रतिलिपि – प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक कृ०विप०नि०(केन्द्रीय योजना) 40/2025–पी०पी०एम०- 232-/कृ0, पटना, दिनांक– 30.03.2026

प्रतिलिपि – योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–कृ०विप०नि०(केन्द्रीय योजना)–40/2025–पी०पी०एम०- 232-/कृ0, पटना, दिनांक– 30.03.2026

प्रतिलिपि – संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–कृ०विप०नि०(केन्द्रीय योजना)–40/2025–पी०पी०एम०- 232-/कृ0, पटना, दिनांक– 30.03.2026

प्रतिलिपि – सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–कृ०विप०नि०(केन्द्रीय योजना)–40/2025–पी०पी०एम०- 232-/कृ0, पटना, दिनांक– 30.03.2026

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक/संबंधित संयुक्त निदेशक उद्यान/संबंधित, जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

अनुसूची–1

वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 में ''एकीकृत बागवानी विकास मिशन'' (60:40) के तहत बाजार के समेकित फसलोपरांत प्रबंधन कार्यक्रम का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(भौतिक लक्ष्य संख्या/मे० टन में एवं वित्तीय लक्ष्य लाख में)

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	अवयव का नाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य 2025–26				वित्तीय लक्ष्य 2026–27				कुल वित्तीय लक्ष्य
				सामान्य @83.903%	अनुसूचित जाति @15.00%	अनुसूचित जनजाति @1.097%	कुल	सामान्य @83.903%	अनुसूचित जाति @15.00%	अनुसूचित जनजाति @1.097%	कुल	
1	निदेशक उद्यान, बिहार, पटना।	समेकित फसलोत्तर प्रबंधन	531	633.8033	113.3100	8.2867	755.4000	1454.2487	259.9875	19.0138	1733.2500	2488.6500

पवन कुमार

निदेशक उद्यान, बिहार।

509

अनुसूची–2

वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 में 'एकीकृत बागवानी विकास मिशन'' (60:40) के तहत समेकित ''फसलोपरांत प्रबंधन कार्यक्रम'' का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(Physical in Nos./MT & Financial in Rs. Lakh)

Sl No.	Name of the Components	Max. Permissible Unit Cost (in Lakh Rs.)	GoI Pattern of Assitance (in Lakh Rs.)	Physical Target	Financial Outlay (2025-26)	Financial Outlay (2026-27)	Total Financial Outlay
A)	**Integrated Post Harvest Management**	\					
(i)	FARM GATE PACK HOUSE with Movable Handling Trolley, Sorting Table and Farm Gate Standalone Cold Storage	Upto a maximum of Rs 25.0 lakh/unit with size of 9MX6M per beneficiary	Assistance @ 50% admissible only. Note: the components has to be implemented in accordance to NCCD guidelines only	2	25.00	-	25.00
(ii)	Cold room (staging)	upto a maximum cost of Rs. 52.00 Lakh/unit	Back-ended assitance @35% in General areas	2	36.40	0.00	36.40
(iii)	Cold Storage Type-I is defined as CS-1 with Construction in civil including PUF/PIR panels, Doors and Anterooms, Refrigeration Units, Electrical Installation, Administrative block, Safety/Fire Safety and Hazard control and basic mazzenine structure	9600/MT (Max 5,000 MT Capacity)	Credit linked back-ended assistance @ 35%	8	400.00	944.00	1344.00
(iv)	Cold Storage Type-II is defined as CS-2 with Construction in combination of civil & PEB including PUF/PIR panels, Doors and Anterooms, Refrigeration Units, Electrical Installation, Administrative block, Safety/Fire Safety and Hazard control and basic mazzenine structure	12000/MT (Max 5000 MT capacity)	Credit linked back-ended assistance @ 35%	4	200.00	640.00	840.00
(v)	Solar Crop Dryer	Rs. 2.50 lakh/unit of 70 kg capacity and Rs. 3.50 lakh/unit of 100 kg capacity for a maximum of 4 units per beneficiary	Credit linked back-ended assistance @ 40%	10	14.00	0.00	14.00
(vi)	Refrigerated Transport Vehicles	Rs. 31.00 lakh for upto max. capacity of 14 MT and on prorata basis for smaller capacity but not below 4MT. However, actual cost would be derived based on quantity etc. chosen depending upon components election as per NCCD guidelines.	Credit linked back-ended assistance @ 35%	5	30.00	24.25	54.25
(vii)	**Ripening Chamber also termed as CS-3**						
	i) Non-Pressurised Ripening Chamber also termed as CS-3	Rs. 1.00 Lakh/MT	Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas	500	50.00	125.00	175.00
			Total :-	**531**	**755.40**	**1733.25**	**2488.65**

पवन कुमार

(अभिषेक कुमार)